संख्या-03/2019/122 /कनिप्र/26-3-2019-18(51)/2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 23 जनवरी, 2019
समाज कल्याण विभाग

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 मे अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2017-18 मे अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के विकास खण्ड' नवाबगंज, बजीरगंज, मनकापुर तथा मुजेहना के कुल 20 ग्रामों में पिच रोड़, सी.सी.रोड, इण्टर लाकिंग तथा रबर मोल्डिंग इंटरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग हेतु स्वीकृत कुल धनराशि रू0 313.00 लाख (रू0 तीन करोड़ तेरह लाख मात्र) के सापेक्ष कार्य कराये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-28/2018/1005/क0नि0प्र0/26-3-2018-18(51)/2018 दिनांक 10 अगस्त,2018 द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोण्डा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

2- इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 10 अगस्त,2018 द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोण्डा के स्थान पर अब प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु यू.पी. स्टेट कांसट्राक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

3- उक्त के संबंध में अधिशासी अभियन्ता यू.पी. स्टेट कांसट्राक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) गोण्डा निर्माण इकाई के द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो की अद्दयतन स्थिति से प्रत्येक माह शासन को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त शासनादेश संख्या-28/2018/1005/क0नि0प्र0/26-3-2018-18(51)/2018 दिनांक 10 अगस्त,2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ0संख्या-03/2019/122 (1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-जिलाधिकारी, गोण्डा।
3-कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ/कोषाधिकारी गोण्डा।
4-वित्त नियन्त्रक, समाज कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।
5-जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गोण्डा।
6-अधिशासी अभियन्ता, यू.पी. सिडको, गोण्डा।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. सिडको, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद गोण्डा।
9-वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।